न्यायालय–अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत जिला सिरोही (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्याम सुन्दर, (आर.जे.एस.)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या – 68 / 2018

सी.आई.एस नम्बर – 68 / 2018

लक्ष्मण पेशवानी पुत्र मूलचंद पेशवानी पेशा व्यापार निवासी सिन्धी निवासी मांच गांव आबूपर्वत जिला सिरोही।

––परिवादी।

बनाम

जितेन्द्र सिंह गेहलोत पुत्र हिम्मतसिंह निवासी जैन मंदिर गली भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

–– अभियुक्त।

परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट।

उपस्थितिः–

01. श्री भूपेन्द्रसिंह जैन, अधिवक्ता परिवादी।
02. श्री लतीफ खान, अधिवक्ता अभियुक्त।

निर्णय **दिनांकः– 02.06.2026**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियुक्त ने परिवादी से रूपये 23,000 / – अक्षरे तेईस हजार रूपये उधार लिये थे। उक्त ऋण के रकम की अदायगी पेटे अभियुक्त ने दो चैक क्रमशः संख्या 526049 दिनांक 17.04.2017 का राशि 11,000 / – रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड एवं चैक संख्या 526050 दिनांक 17.04.2017 की राशि का 12,000 / – रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड के परिवादी को दिये। परिवादी ने उक्त चैकों की रकम प्राप्ति हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आबूपर्वत में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर बैंक ने दिनांक 02.05.2017 को रिर्टन मीमो में ''नो सच एकाउण्ट'' का नोट लगाकर लौटा दिया। चैकों का भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.05.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

भिजवाया गया जो अभियुक्त को दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त हो गया। उक्त नोटिस प्राप्ति उपरांत भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक वर्णित राशि अदा नहीं करने पर परिवादी द्वारा उक्त परिवाद पेश किया गया।

02. उक्त परिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2018 को अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया।

03. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनांक 17.03.2026 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप सारांश की विशिष्टियां मौखिक सुनाई व समझाई गयी तो अभियुक्त ने आरोप सुन, समझकर आरोप से इन्कार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

04. अन्वीक्षा में परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू–01 लक्ष्मण पेशवानी के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मूल चैक प्रदर्श पी. 1, चैक रिटर्न मीमो प्रदर्श पी. 2, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 3, मूल चैक प्रदर्श पी. 4, रिटर्न मीमो प्रदर्श पी. 5, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 6, नोटिस की प्रति प्रदर्श पी. 7, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी. 8, पावती रसीद प्रदर्श पी. 9, चैक संख्या 526050 बैंक में जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी. 10, चैक संख्या 526049 को बैंक में जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी. 11 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये।

05. बाद साक्ष्य परिवादी अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा गवाह द्वारा झूठा कथन करते हुए स्वयं का निर्दोष होना कथन किया गया। साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की गयी।

06. बहस अंतिम सुनी गयी। परिवादी की ओर से बहस इस आशय की प्रस्तुत है कि अभियुक्त ने परिवादी से तेईस हजार रूपये उधार प्राप्त किए थे, जिसकी अदायगी हेतु मुलजिम ने दो चैक क्रमशः प्रदर्श पी. 1 व प्रदर्श पी. 4 परिवादी को दिये थे। अभियुक्त पक्ष की ओर से नोटिस प्राप्ति से भी इंकार नहीं है

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

कि चैक अनादरण का नोटिस उसे नहीं मिला हो। अतः अभियुक्त का दायित्व एवं परिवाद साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर परिवादी को दुगुनी चैक रकम प्राप्त करवाई जावे।

07. अभियुक्त पक्ष की ओर से बहस इस आशय की प्रस्तुत कि परिवादी ने अभियुक्त को झूठा फंसाया है। उसने परिवादी से कोई रूपये उधार नही लिये थे। नोटिस उसको कभी प्राप्त हुआ नही। नोटिस में अंकित पते पर सूचना पत्र परिवादी ने भेजा ही नही। परिवादी ने चैक का दुरूपयोग किया है। अंत में अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

08. न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपित अभियुक्त द्वारा परिवादी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु दो चैक क्रमशः संख्या 526049 दिनांक 17.04.2017 का राशि 11,000 / —रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड एवं चैक संख्या 526050 दिनांक 17.04.2017 रूपये 12,000 / —पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड के परिवादी को दिये। परिवादी ने उक्त चैकों की रकम प्राप्ति हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आबूपर्वत में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर बैंक ने दिनांक 02.05.2017 को रिर्टन मीमो में ''नो सच एकाउण्ट'' का नोट लगाकर उक्त दोनों चैक वापिस लौटा दिये तथा विधिक समय अवधि में नोटिस दिये जाने के बाद भी अभियुक्त ने उक्त चैकों में वर्णित रकम की अदायगी परिवादी को नहीं की ?

2. यदि हॉ तो अभियुक्त को किस दंड से दंडित किया जावे।

09. इस संबंध में परिवादी की ओर से स्वयं परिवादी गवाह पी.ड.—1 लक्ष्मण पेशवानी ने न्यायालय के समक्ष परिक्षित होते हुए मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये तथा कथन किया कि अभियुक्त ने परिवादी से रूपये 23,000 / — अक्षरे तेईस हजार रूपये उधार लिये थे। उक्त ऋण के रकम की अदायगी पेटे अभियुक्त ने दो चैक क्रमशः संख्या 526049 दिनांक 17.04.2017 का राशि 11,000 / — रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड एवं चैक संख्या 526050 दिनांक 17.04.2017 की राशि का 12,000 / —

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड के परिवादी को दिये। परिवादी ने उक्त चैकों की रकम प्राप्ति हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आबूपर्वत में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर बैंक ने दिनांक 02.05.2017 को रिर्टन मीमो में ''नो सच एकाउण्ट'' का नोट लगाकर लौटा दिया। चैकों का भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.05.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को भिजवाया गया, जो अभियुक्त को दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त हो गया। उसकी पोस्टल रसीद एवं नोटिस प्राप्ति रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान कथन किया है कि वह जितेन्द्र को वर्ष 2016 से पहचानता है। यह कहना गलत है कि वह ब्याज पर रकम देने का काम करता हो। उसने जितेन्द्र को माह फरवरी 2017 में तेईस हजार रूपये उधार दिए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि चैक उसे खाली दिए हों, स्वयं कहा कि भर कर चैक दिए थे। रकम देने की कोई लिखत–पढत नहीं की थी। इस संबंध में परिवादी से की गयी जिरह का पुनः अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि परिवादी ने जिरह के दौरान यह कथन किया है कि मुलजिम ने उसे जो चैक दिए वह सिक्योरिटी पेटे दिए थे और कहा था कि जब वह रूपये दे दे तो उसके दोनों चैक लौटा देना। इस सुझाव से इंकार किया है कि मुलजिम ने उससे रूपये नहीं लिए हों। अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से उधार रकम प्राप्त करते समय उसे दो खाली चैक हस्ताक्षरशुदा दिए थे तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी से ली गयी उक्त उधार राशि लौटा दी गयी, तत्पश्चात भी परिवादी ने अभियुक्त को परिवाद वर्णित उक्त खाली चैक नहीं लौटाए एवं उनका दुरूपयोग किया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि यदि अभियुक्त द्वारा परिवादी से ली गयी उधार राशि की अदायगी की गयी होती तो इस संबंध में उससे अवश्य ही प्राप्त रसीद प्राप्त की जाती। जबकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई प्राप्ति रसीद पत्रावली पर पेश नहीं की गयी है। जहां तक परिवादी द्वारा खाली हस्ताक्षरशुदा चैकों को भरकर उनका दुरूपयोग किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरशुदा खाली चैकों के दुरूपयोग किए जाने के संबंध में परिवादी के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गयी अथवा चैक के स्टॉप पेमेंट बाबत् कोई पत्र बैंक में दिया गया हो, ऐसी किसी प्रकार की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का यह बचाव माने जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से राशि उधार

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

ली गयी एवं उक्त राशि के अदायगी हेतु अभियुक्त ने परिवादी को दो चैक क्रमशः चैक संख्या 526049 दिनांक 17.04.2017 रूपये ग्यारह हजार रूपये का पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड का एवं चैक संख्या 526050 दिनांक 17.04.2017 रूपये बारह हजार का पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड के दिए, जो चैक परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु अपनी बैंक में लगाए जाने पर ''नो सच एकाउण्ट'' के अंकन के साथ अनादरित होकर वापिस परिवादी को लौटा दिए गए एवं परिवादी को उक्त चैकों में वर्णित राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

10. हस्तगत प्रकरण में परिवादी के द्वारा धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम में दिये प्रावधानों व संबंधित विधि के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत चैक के अनादरण का अपराध निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन उत्पन्न होता है–

1. कथित चैक को जारी किए जाने की दिनांक से 03 माह की अवधि के भीतर अथवा उसकी विधि मान्य अवधि के भीतर, जो पहले हो, उक्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. भुगतान प्राप्तकर्ता को चैक अनादरण की बैंक से सूचना प्राप्त होने से विधिक अवधि में चैक जारीकर्ता को कथित राशि का भुगतान करने के संबंध में सूचना पत्र से मांग करनी चाहिए।

3. उक्त भुगतान प्राप्तकर्ता को कथित सूचना पत्र की प्राप्ति से 15 दिनों की भीतर उक्त कथित चैक की राशि का भुगतान करने में चैक जारीकर्ता के द्वारा भुगतान नही करना अथवा उसका विफल रहना।

4. उक्त विफल रहने की स्थिति में वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि में संबंधित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि परिवादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसके पक्ष में चैक जारीकर्ता ने किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए जारी किया है। मेरे विनम्रमतानुसार उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118(ए) एवं 139 चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा करती है कि चैक

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

के धारक ने वह चैक धारा 138 के निर्दिष्ट किसी ऋण या अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। यही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने के. भास्करन बनाम शंकरन वैधबालान (1997) 7 एस.सी.सी. पेज 510 पैरा नं. 9 में अभिनिर्धारित किया हैः–

> "9 ----------- Sec. 139 of the act enjoins the court to presume that the holder of the cheque received it for the discharge of any debt or liablity. The burden was on the accused to rebut the aforsaid presumption".

इसी प्रकार T.Vasanth Kumar vs Vijay Kumari 2015 STPL (web) 356 (SC) के पैरा नं. 10 में भी इस प्रकार उपधारणा की गयी है किः–

10 "Therefore, in the present case since the cheque as well as the signature has been accepted by the accused respondent, the presumption under Section 139 would operate. Thus, the burden was on the accused to disprove the cheque or the existence of any legally recoverable debt or liability."

अतः उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टांतों में चैक धारक के पक्ष में उपधारणा की गयी है, लेकिन इस उपधारणा को अभियुक्त पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की साक्ष्य से या स्वयं साक्षी बॉक्स में आकर खण्डित कर सकता है, परंतु यह खण्डन ठोस होना चाहिए, न कि मात्र डिनायल। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **Kumar Exports v. Sharma Carpets 2009 (1) C.C.C. (SC) 778** के पैरा नम्बर 11 में अभिनिर्धारित किया है किः–

> "11 .... At the same time, it is clear that bare denial of the passing of the consideration and existence of debt. apparently would not serve the purpose of accused. Something, which is probable, has to brought on record for getting the burden of proof shifted to the complainant. To disprove the presumption, the accused should bring on record such facts and circumstances, upon consideration of which, the court may believe that the consideration and debt did not exists or their non-existance was so probable that a prudent man would under the circumstances of the case, act upon the plea that did not exis."

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

12. हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा विवादित उपरोत दोनों चैक भुगतान प्राप्ति हेतु अपनी बैंक में पेश किए गए एवं रिटर्न मीमो अनुसार उपरोक्त दोनों चैक दिनांक 02.05.2017 को अनादरित हुए हैं। अतः तीन माह की विहित अवधि में ही विवादित उपरोक्त दोनों चैक परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु पेश कर दिये गये है। चैक अनादरण की सूचना बाबत् परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस एक माह के भीतर दिनांक 15.05.2017 को दे दी गयी है, जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया एवं नोटिस अवधि पूर्ण होने के 15 दिवस पश्चात दिनांक 17.06.2017 को परिवाद पेश कर दिया गया है।

13. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में उक्त अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि परिवादी की ओर से प्रकरण में अभियुक्त द्वारा दिए गए उक्त दो मूल विवादित चैकों को स्वयं के कब्जे से न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पक्ष द्वारा इस संबंध में चैकों पर हस्ताक्षर, खाता संख्या इत्यादि से इंकार नहीं किया गया है कि चैक उसके नहीं हों। अतः परिवादी के पक्ष में उपधारणा अंतर्गत धारा 139 स्थापित है। उक्त उपधारणा के खण्डन का प्रथम भार अभियुक्त पक्ष पर है। अभियुक्त पक्ष की उपधारणा खण्डन में स्वयं की साक्ष्य कोई पेश नहीं है। दौराने बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 सीआर.पी.सी. मात्र वर्णित है कि वह निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। इस संबंध में पूर्व में विवेचनानुसार अभियुक्त ने परिवादी से 23,000 / –अक्षरे तेईस हजार रूपये उधार लिए थे। जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को दो चैक क्रमशः चैक संख्या 526049 दिनांक 17.04. 2017 रूपये ग्यारह हजार रूपये का पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड का एवं चैक संख्या 526050 दिनांक 17.04.2017 रूपये बारह हजार का पंजाब नेशनल बैंक शाखा आबूरोड के दिए, जो चैक परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु अपनी बैंक में लगाए जाने पर ''नो सच एकाउण्ट'' के अंकन के साथ अनादरित होकर वापिस परिवादी को लौटा दिए गए एवं परिवादी को उक्त चैकों में वर्णित राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उक्त प्रतिरक्षा तथ्य को स्पष्ट साबित करने का भार भी स्वयं अभियुक्त पक्ष पर था कि परिवादी को विवादित चैक कब, किस संव्यवहार में दिए गए थे। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा वर्णन इस आशय की भी प्रस्तुत रही है कि परिवादी ने चैक का दुरूपयोग किया है। परिवादी द्वारा चैक दुरूपयोग किए जाने का कथन तो किया है परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई एफएसएल या विशेषज्ञ रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा पेश नहीं की

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

गयी है जिससे यह प्रकट हो कि परिवादी ने खाली चैक को भरकर या भरवाकर उसके द्वारा दुरूपयोग किया गया हो तथा इस संबंध में अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की गयी हो अथवा बैंक में चैकों के पेमेन्ट के स्टॉप्ड बाबत कोई पत्राचार किया हो, ऐसी भी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में परिवादी से की गयी जिरह में भी इस तथ्य बाबत खण्डन अभियुक्त करवा पाने में असफल रहा है। यदि वास्तविक रूप से परिवादी द्वारा अभियुक्त के हस्ताक्षरशुदा खाली चैकों का दुरूपयोग किया होता तो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति अवश्य ही आवश्यक विधिक कार्यवाही करता। स्वयं के खिलाफ कार्यवाही होने पर केवल मात्र यह कह देने से कि परिवादी को कोई राशि अदायगी नहीं करनी है, परिवादी ने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, यह नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा ली गयी उक्त प्रतिरक्षा भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

14. इस प्रकार प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु के संबंध में जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके सम्यक विवेचन से परिवादी अपने प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा अभियुक्त, परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त जितेन्द्रसिंह को आरोपित अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

15. फलस्वरूप अभियुक्त जितेन्द्र सिंह गेहलोत पुत्र हिम्मतसिंह निवासी जैन मंदिर गली भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आरोपित अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(श्याम सुन्दर)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आबूपर्वत जिला सिरोही।

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

<u>सजा के प्रश्न पर –</u>

16. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वह पूर्व में दोषसिद्ध नहीं हुआ है तथा पक्षकारान के मध्य संव्यवहार सिविल प्रकृति का होने से अभियुक्त को कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अंत में अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किये का निवेदन किया।

17. तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वर्तमान में चैक अनादरण के मामले बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम पारित किया गया था। जिसका उद्देश्य देश में बढते हुए व्यापार, ट्रेड कॉमर्स तथा औद्योगिक गतिविधियों को नियमित करना, वित्तीय मामलों में सतर्कता सुनिश्चित करना तथा क्रेडिटर का चैक जारी करने वालों के प्रति विश्वास सुनिश्चित करना है जो कि देश के आर्थिक जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक है। अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध किया है जिससे पक्षकारान के बीच विश्वास प्रभावित हुआ है। आर्थिक जगत में चैक की मार्फत लाखों करोडों रूपयों का लेनदेन होता है। इसी कारण व्यावसायिक जगत में विश्वास के संबंध कायम होता है । यदि ऐसे प्रकरणों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो आर्थिक जगत में अविश्वास बढ जायेगा तथा आर्थिक जगत की आधारशिला हिल जायेगी । परक्राम्य लिखत के संबंध में अविश्वास बढ़ेगा, जिससे व्यवसायिक अड़चने पैदा हो जायेंगी। अभियुक्त का अपराध आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है और आर्थिक क्षेत्र के अपराधों में मेरे विनम्रमतानुसार अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने “Vijayan Vs Sadanandam & Anr 2009 Cr. L.R. (S.C.) 436” में यह अभिनिर्धारित किया है कि

”23. Having regard to the views expressed hereinabove, we hold that while awarding compensation under section 357(3) Crpc the

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

Court is within its jurisdiction to add a default sentence of imprisonment as was held in Hari Singh's case (Supra)."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 357 (3) दंप्रसं. के तहत परिवादी को प्रतिकर दिलाते समय default sentence पारित किया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषी पाये जाने पर उसे कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और परिवादी को प्रतिकर राशि दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::: दण्डादेश ::::

18. अतः अभियुक्त जितेन्द्र सिंह गेहलोत पुत्र हिम्मतसिंह निवासी जैन मंदिर गली भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर छः माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है और साथ ही अभियुक्त को धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को राशि 35,000/– रूपये (अक्षरे पैंतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिकर राशि के रूप में अदा करे। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त उक्त प्रतिकर की राशि न्यायालय में जमा करायेगा। उक्त संपूर्ण राशि को परिवादी बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

19. अभियुक्त का सजा वारंट नियमानुसार बनाया जावे। यदि अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत की गयी हो तो उस अवधि को मूल सजा में समायोजित की जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को नियमानुसार तुरंत निःशुल्क प्रदान की जावे।

(श्याम सुन्दर)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आबूपर्वत जिला सिरोही।

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42

20. निर्णय/आदेश/दण्डादेश आज दिनांक 02.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(श्याम सुन्दर)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आबूपर्वत जिला सिरोही।

Signed By:SHYAM SUNDAR
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
Signing Date:11.06.2026 10:42